



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-28.10.2024

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस में वाँछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2024 को थाना दोघट पर वादी कृष्णपाल पुत्र फत्ते सिंह निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 19.10.2024 को अभियुक्तगण 1.सन्नी पुत्र संजीव, 2.विक्की उर्फ पीटर पुत्र संजीव निवासीगण ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत व 3.एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की उर्फ पीटर पुत्र संजीव निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विपिन कुमार गौतम थाना दोघट जनपद बागपत
2-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 28.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

1.अरमान पुत्र सलीम कुरैशी निवासी इकबाल की चनकी के सामने सर्कुलर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-का0 989 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 28.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 17 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 17 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0

716/24 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पुरुषोत्तम उर्फ रूस्तम पुत्र चंदकीराम निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 17 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- है0का0 315 ईशपाल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 430 कुलदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक- 28.10.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 143/24 धारा 305 BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही पर चोरी की हुई एक बिजली मोटर तथा कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.09.24 को थाना बालैनी पर वादी मथन सिंह पुत्र जहान सिंह निवासी ग्राम मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 25.09.24 को अभियुक्तगण 1.योगेश उर्फ बबलू पुत्र मथन सिंह, 2.अश्वनी उर्फ कल्लू पुत्र राजीव निवासीगण ग्राम मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वादी के घर से चारा काटने की मशीन की मोटर चोरी कर ली है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 143/24



धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही पर चोरी की हुई 01 बिजली मोटर तथा अभियुक्त अश्वनी उर्फ कल्लू के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी उर्फ कल्लू पुत्र राजीव निवासी ग्राम मतानतनगर थाना बालैनी कब्जे से बरामद 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 158/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-योगेश उर्फ बबलू पुत्र मथन सिंह निवासी ग्राम मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-अश्वनी उर्फ कल्लू पुत्र राजीव निवासी ग्राम मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक बिजली की मोटर।
- 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी उर्फ कल्लू का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 107/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जिला बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 161/21 धारा 307 भादवि थाना बालैनी जिला बागपत।
- 3.मु0अ0सं0 143/24 धारा 305/317(2) BNS थाना बालैनी जिला बागपत।
- 4.मु0अ0सं0 158/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-है0 का0 35 सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4-है0 का0 373 राजकिशोर थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 5-है0का0 416 दीपक राणा थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 6-का0 1037 अभिषेक यादव थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 7-का0 368 पवन कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

